

प्रेषक,

अधिशासी अभियन्ता,
ग्रामीण निर्माण विभाग
प्रखण्ड देहरादून।

सेवा में

प्रभागीय वनाधिकारी,
मसूरी वन प्रभाग,
मसूरी।

पत्रांक 1046 ग्रामीण / अनु०-रिखोली / 2016-17 दिनांक : २५/०९/२०१६

विषय

जनपद देहरादून में विकासखण्ड सहसपुर में ग्रामीण सड़के एवं ड्रेनेज विभाग के अन्तर्गत 09 बीघा रिखोली मुख्य मार्ग के किमी 0 16 से नारायण रिंह के घर तक ग्रामीण सड़के के निर्माण हेतु अपेक्षित 0.889 हेतु वन भूमि का ऐरवानित कार्य द्वारा ग्रामीण निर्माण विभाग प्रखण्ड देहरादून को वन अधिनियम 1980 के तहत प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव।

महादेव,

आपके कार्यालय पत्र सं 983/12-1 दिनांक 06.09.2016 एवं अनुसंधित, उत्तराखण्ड शासन के संलग्न पत्र के कम में चाही गयी विन्दुवार सूचना निम्न है-

1. विन्दु सं 01 मुख्य वन संरक्षक से सम्बन्धित हैं।
2. विन्दु सं 02 में चाही गयी सूचना के सन्दर्भ में प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव में प्रपत्र 33 पर सूचना अंकित है।
3. विन्दु सं 03 में चाही गयी सूचना हेतु प्रपत्र 09 व प्रपत्र 11.1 तथा प्रपत्र 04 पर प्रत्यावर्तन प्रस्ताव में संलग्न है। सुलभ सन्दर्भ हेतु उक्त प्रपत्रों की छायाप्रति संलग्न की जा रही है।

अतः सूचना सेवा में प्रेषित है।

संलग्न-उक्तानुसार।

मवदीय,

अधिशासी अभियन्ता,
ग्रामीण निर्माण विभाग,
प्रखण्ड-देहरादून।

पत्रांक एवं दिनांक उक्तानुसार-

प्रतिलिपि— सहायक अभियन्ता (तृतीय), ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता,
ग्रामीण निर्माण विभाग,
प्रखण्ड-देहरादून।

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट

विकासखण्ड सहसपुर एवं ग्रामीण सड़क एवं ड्रेनेज विभाग के पत्र के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी के पत्रांक 1539/12-1, दिनांक 02-11-2015 के अनुपालन में दिनांक 16-11-2015 एवं 12-03-2016 को अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण निर्माण विभाग, राजस्व विभाग एवं वन विभाग के निम्न अधिकारी/कर्मचारियों की उपस्थिति में स्थलीय निरीक्षण की कार्यवाही सम्पन्न की गई :-

- (1) श्री जगमोहन जुवांठा, वन क्षेत्राधिकारी, मसूरी रेंज।
- (2) श्री विकास अणथाल, अपर सहायक अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग।
- (3) श्री आर०क०सिंह, सहायक अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग।
- (4) श्री बलबीर सिंह रावत, वन दरोगा, मसूरी रेंज।
- (5) श्री जगदीश कुमार, राजस्व उप निरीक्षक, क्षेत्र रिखोली।
- (6) श्री दिवान सिंह, वन बीट अधिकारी, रिखोली बीट।

- (1) प्रश्नगत स्थल रिखोली कोसं 7 आरक्षित वन के अन्तर्गत पड़ता है।
 (2) नौवींधा (नारायण सिंह के घर के पास) से रिखोली मोटर मार्ग तक एक पुराना मार्ग अवस्थित है, जिसकी नपत निम्न प्रकार प्रेषित है-

कोसं	प्रस्तावित कार्य का विवरण	क्षेत्र का स्वरूप	संख्या	प्रस्तावित भूमि की नपत		
				लम्बाई	चौड़ाई	क्षेत्रफल (वर्गमीलमें)
1	मोटर मार्ग	आरक्षित वन रिखोली-7.	1	1270	7	8890 0.8890
			1	160	7	1120 0.1120
		योग-		1430		10010 1.0010

संयुक्त निरीक्षण में उपस्थित राजस्व विभाग के प्रतिनिधि के अनुसार उक्त मार्ग राजस्व अधिकारियों में औसत 7 मीटर चौड़ा कच्चा मार्ग दर्ज है। उक्त मार्ग का 1270 मीटर भाग रिखोली आरक्षित वन कोसं 7 के अन्तर्गत पड़ता है, तथा शेष 160 मीटर मार्ग नापभूमि है।

- (4) वर्णित स्थल की जी०पी०एस० रीडिंग निम्न प्रकार है-

N- 30° 25'-22.7" E- 078°-01'-13.4" Height- 544 M.
 N- 30°-26'-0.22" E- 078°-02'-13.5" Height- 499 M.

- (5) उक्त मार्ग में ग्रामीण सड़क एवं ड्रेनेज विभाग, देहरादून द्वारा सुदृढीकरण एवं डामरीकरण कार्य किया जाना जाना है तथा पूर्व निर्मित कच्चे मार्ग के समरेखण में परिवर्तन नहीं किया जाना है। उक्त प्रस्तावित कार्य में कोई वृक्ष बाधक नहीं होगा।

आरक्षित वन में मार्ग के सुदृढीकरण एवं डामरीकरण कार्य करने पर मौके पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्राविधिक लागू होंगे।

(आर०क०सिंह)

सहायक अभियन्ता,

ग्रामीण निर्माण विभाग, देहरादून।

(विकास अणथाल)

अपर सहायक अभियन्ता,

ग्रामीण निर्माण विभाग, देहरादून।

(जगमोहन जुवांठ)

वन क्षेत्राधिकारी

मसूरी रेंज।

(दिवान सिंह नंगी)

वन बीट अधिकारी,

रिखोली बीट।

(बलबीर सिंह रावत)

वन दरोगा,

मसूरी रेंज, मसूरी।

(जगदीश कुमार)

राजस्व उप निरीक्षक,

राजस्व रिखोली निरीक्षक

क्षेत्र रिखोली।

प्रधानीकृत वनाधिकारी
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी

अधिशासी अभियन्ता
ग्रामीण निर्माण विभाग
प्रखण्ड देहरादून

District Magistrate
Dehradun.

प्रपत्र -9

परियोजना का नाम:-

जनपद-देहरादून के विकास खण्ड सहसपुर में ग्रामीण सड़कों एंव ड्रेनेज विभाग के अन्तर्गत नौ बीघा-रिखोली मुख्य मार्ग के किमी 0 16 से नारायण सिंह के घर तक ग्रामीण सड़क के निर्माण हेतु अपेक्षित 0.8890 है। वन भूमि का ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड देहरादून को प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव।

अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने व वन भूमि की मांग न्यूनतम होने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु आवेदित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है तथा याचित 0.8890 हेतु वन भूमि की मांग न्यूनतम है इससे कम वन भूमि पर परियोजना का निर्माण कार्य कराया जाना सम्भव नहीं है।

Sir
हुमेशी अधिकारी
ग्रामीण निर्माण विभाग
प्रखण्ड देहरादून
प्रयोक्ता एजन्सी

५०
Cy
प्रभागीय वनाधिकारी
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी

५०
Dm ५०/
जिलाधिकारी
District Magistrate
Dehradun.

वन भवानीय वनाधिकारी
मसूरी रेज
मसूरी वन प्रभाग

amr
वन भवानीय वनाधिकारी
मसूरी वन प्रभाग
देहरादून

प्रपत्र -33

परियोजना का नाम:-

जनपद—देहरादून के विकास खण्ड सहसपुर में ग्रामीण सड़कें एंव ड्रेनेज विभाग के अन्तर्गत नौ बीघा—रिखोली मुख्य मार्ग के किमी 0 16 से नारायण सिंह के घर तक ग्रामीण सड़क के निर्माण हेतु अपेक्षित 0.8890 है 0 वन भूमि का ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड देहरादून को प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव।

लाभान्वित होने वाले ग्रामों/परिवारों/जनसंख्या के सम्बन्ध में प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण से निम्न प्रकार स्थानीय ग्रामों/परिवारों/जनसंख्या को लाभ प्राप्त होगा।

<u>ग्राम</u>	<u>परिवार</u>	<u>जनसंख्या</u>
रिखोली	38	318
बरसारी	06	25
बसियाना	03	15
नौ विघा	15	138
जोड़ीखाला	02	12
किमाणी	27	288


 अधिशासी अभियन्ता
 ग्रामीण निर्माण विभाग
 प्रखण्ड ड्रेनेजन्ट एजेन्सी

